

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संचिका सं०-03/भू०अ०नि० (5) अपील-13/2022
आदेश

4638/40/11/2022

प्रस्तुत अपील "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम-8(4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत अपीलार्थी श्री राजेश कुमार (Emp. ID No.- AEN02843), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश सं०-1617 दिनांक- 02.07.2022 के विरुद्ध दायर किया गया है।

प्रस्तुत अपील में उभयपक्षों को सूचना निर्गत किया गया है। अपीलार्थी श्री राजेश कुमार को सुनवाई की निर्धारित तिथि की सूचना ईमेल के द्वारा दी गई है। प्रस्तुत अपील में निर्धारित तिथि 07.10.2022 को वाद की सुनवाई की गई। उभयपक्ष उपस्थित। निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा अपीलार्थी के अपील पर अपना मंतव्य दाखिल किया गया। प्रस्तुत अपील में उभयपक्षों को सुनकर आदेश पर रखा गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि मौजा-मनीऑवन, राजस्व थाना नं०-428 का किस्तवार कार्य करने हेतु किस्तवार मानचित्र प्राप्त कर दिनांक- 31.07.2021 को किस्तवार कार्य प्रारंभ किया। उनके द्वारा आगे बताया गया कि वर्षा ऋतु, निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त तथा मौजा बहुत बड़ा होने के कारण कार्य प्रगति थोड़ी धीमी रही है। निदेशालय के पत्रांक-1095 दिनांक- 11.05.2022 द्वारा कार्य में शिथिलता बरतने एवं अभिरुचि नहीं लेने के कारण 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। निदेश के अनुपालन में मैंने दिनांक- 14.05.2022 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया। मेरे स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए निदेशालय पत्रांक- 1617 दिनांक- 02.07.2022 द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित मेरा संविदा रद्द कर दिया गया है।

भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना ने अपने प्रतिउत्तर (मंतव्य) में स्पष्ट किया है कि दिनांक- 05.05.2022 को बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा में किए जा रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षोपरान्त श्री राजेश कुमार द्वारा मौजा-मनीऑवन, राजस्व थाना नं०- 428 का किस्तवार कार्य 10 माह की लम्बी अवधि में भी पूर्ण नहीं किया गया है। निदेशालय द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण में श्री राजेश कुमार द्वारा कोई ठोस कारण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए इनका संविदा रद्द किया गया है।

उभयपक्षों को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री कुमार द्वारा मौजा-मनीऑवन, राजस्व थाना नं०-428 का किस्तवार कार्य लगभग 10 माह की अवधि में भी पूर्ण नहीं किया गया है। ज्ञातव्य हो कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निश्चित समयावधि में पूरा किया जाना है। स्पष्ट है, श्री कुमार की विशेष सर्वेक्षण कार्यों की उपलब्धि अधिनियम/नियमावली में वर्णित समय-सीमा के विपरीत है।

श्री कुमार को बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों में रुचि नहीं लेने तथा इनके कृत्य से भू-सर्वेक्षण कार्य एवं अन्य कर्मियों पर इसके कुप्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए श्री कुमार की संविदा रद्द की गई है, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उक्त के आलोक में श्री राजेश कुमार (Emp. ID No.- AEN02843), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

ह०/-

अपर मुख्य सचिव-सह-
अपीलीय प्राधिकार

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (5) अपील-13/2022.....4638.....पटना, दिनांक :- 16/12/2022


प्रतिलिपि:- श्री राजेश कुमार (Emp. ID No.- AEN02843), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, सिलाव, शिविर संख्या-02, बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा, Email-1995rajeshraj@gmail.com, अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित।


(अनिल कुमार सिंह)

सहायक निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (5) अपील-13/2022.....4638.....पटना, दिनांक :- 16/12/2022


प्रतिलिपि:- बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालंदा/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।


सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (5) अपील-13/2022.....4638.....पटना, दिनांक :- 16/12/2022


प्रतिलिपि:- निदेशक कोषांग, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (5) अपील-13/2022.....4638.....पटना, दिनांक :- 16/12/2022

प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण